उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग–2

संख्या : ए-2-46/दस-2000-24(2)-98

लखनऊ, दिनांक 21 फरवरी, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या : ए-2-47/दस-97-10(9)/95 दिनांक 03 मार्च, 1997 सपठित शासनादेश संख्या ए-2-856/दस-97-10(9)/95, दिनांक 22 अप्रैल, 1997 के अन्तर्गत लोक निर्माण, सिंचाई, वन; जलागम प्रबन्ध निदेशालय, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं व्याधिक्य को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल, 1997 से सी0 सी0 एल0/डी0सी0एल0 की संशोधित प्रणाली लागू है। शासनादेश संख्या ए-2-311/दस-98-24(2)/98, दिनांक 29 जून, 1998 सपठित शासनादेश संख्या : ए-2-1954/दस-98-24(2)/98, दिनांक 09 नवम्बर, 1998 के अन्तर्गत सी0सी0एल0 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में नियुक्त वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा सीधे जनपद में सम्बन्धित खण्ड/प्रभाग/निदेशन प्रभाग को जारी किये जाने तथा इस संबंध में अपनायी जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं के साथ-साथ त्रैमासिक सी0सी0एल0 जारी किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

2—यह पाया गया कि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का लगभग 60 प्रतिशत उपयोग अन्तिम त्रैमास में ही किया जाता है, जो कि कैश फ्लो मैनेजमेंट और व्यय-नियंत्रण (एक्सपेन्डिचर कन्ट्रोल) दोनों ही दृष्टिकोण से किसी भी दशा में उचित नहीं है। साथ ही यह भी पाया गया कि कतिपय मामलों में मार्च के अन्तिम सप्ताह में सी0सी0एल0 निर्गत की जाती है, जो कि अपवादस्वरूप एकाध मामलों को छोड़कर सर्वथा अनुचित है। अतएव इसकी समीक्षा हेतु सचिव, वित्त (बजट संसाधन) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसकी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि :

1—शासनादेश संख्या : ए-2-311/दस-98-24(2)/98, दिनांक 29 जून, 1998 की व्यवस्था के अनुरूप सी0सी0एल0 त्रैमासिक आधार पर ही जारी की जायेगी, परन्तु उक्त जारी सी0सी0एल0 के उपयोग की अधिकतम अवधि त्रैमास के अन्तिम मास से एक अतिरिक्त माह तक ही होगी। उदाहरण-स्वरूप प्रथम त्रैमास में जारी सी0सी0एल0 के उपयोग की अधिकतम अवधि 31 जुलाई तक ही होगी; किन्तु अन्तिम त्रैमास में जारी सी0सी0एल0 के उपयोग की अवधि 31 मार्च ही रहेगी।

2—समस्त विभागाध्यक्षों का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह के व्यय की समीक्षा करें और यह भी सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक त्रैमास में जारी सी0सी0एल0 का व्यय समानुपातिक रूप से प्रत्येक माह में ही हो, जिससे कैश फ्लो मैनेजमेंट ज्यादा सार्थक हो सके।

3—प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि अन्तिम त्रैमास की सी0सी0एल0 31 जनवरी, तक कोषाधिकारियों/सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाय। यदि किसी खण्ड/प्रभाग की अवशेष सी0सी0एल0 को वापस लेते हुए उसे कार्यहित में किसी अन्य खण्ड/प्रभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो, तो यह कार्य तभी सम्पादित किया जाय जब जिस खण्ड/प्रभाग से सी0सी0एल0 वापस ली जा रही है, उसके खण्डीय अधिकारी/प्रभागीय अधिकारी एवं सम्बन्धित कोषाधिकारी इस तथ्य की लिखित पुष्टि करें कि वापस ली जा रही सी0सी0एल0 का उपयोग सम्बन्धित खण्ड/प्रभाग के द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार के पुनर्विनियोग की कार्यवाही भी अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अवश्य पूरी कर ली जाय।

4—मार्च महीने में किसी प्रकार की सी0सी0एल0 निर्गत नहीं की जायेगी। यदि विशेष परिस्थिति में सी0सी0एल0 जारी किया जाना आवश्यक ही हो तो संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। इस प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुये यदि कोई सी0सी0एल0 मार्च माह में जारी हो जाती है तो संबंधित कोषाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इस प्रकार जारी सी0सी0एल0 का संज्ञान नहीं लेंगे।

5—चूंकि सी0सी0एल0 जारी करने का कार्य सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से उनके कार्यालय में नियुक्त वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता है। इस लिये किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शासकीय आदेशों में विचलन की स्थिति में इसके लिये ये दोनों ही पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। व्याधिक्य के लिये संबंधित खण्डीय अधिकारी/प्रभागीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3—उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 1-4-2000 से लागू होगी तथा उपर्युक्त संदर्भित समस्त शासनादेश सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। इन शासनादेशों की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

4—इस आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग के समस्त अधिकारियों को समुचित अनुदेश तत्काल निर्गत किये जायेंगे।

5—वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या ए-2-46(1)/दस-2000-24(2)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3—चीफ एकाउन्टेंट, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल आफिस, मुम्बई।
4—महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।
5—प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6—सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7—सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8—एकीकृत वित्तीय परामर्शदाता, सिंचाई एवं बाढ़, लो0नि0वि0 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग।
9—प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10—प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11—निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12—निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तर प्रदेश, देहरादून।
13—निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14—मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15—वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण/सिंचाई/वन/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0 प्र0, लखनऊ।
16—मुख्य लेखाधिकारी, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18—निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
19—निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
20—अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ए0 पी0 वर्मा,
अनु सचिव।

प्रो0 110 यू0 पी0--ए0 पी0 182 सा0 वित्त—10-3-2000--(2318)--2000-3000 (मेक0)।